NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA (MY CITY), Ghaziabad, 2.11.2024
Page No. 3, Size:(12.06)cms X (6.13)cms.

लाठी चार्ज का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग

29 अक्तूबर को जिला जज से विवाद के बाद पुलिस ने वकीलों पर किया था लाठीचार्ज

माई सिटी रिपोर्टर

गाजियाबाद। कचहरी में बीते 29 अक्तूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ता की भी अपनी मान मर्यादा है। वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इस घटना से अधिवक्ताओं के अधिकारों, मान सम्मान, मर्यादा का हनन हुआ है।

भरी अदालत में पुलिस द्वारा अधिवक्तागणों पर लात, घूंसे चलना, लाठी बरसाना अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात है। इस प्रकार से अधिवक्तागण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय

मानवाधिकार आयोग में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करने की प्रार्थना की गई है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और अधिवक्तागण निर्बाध रूप से कोर्ट रूम में अपना न्यायिक कार्य कर सकें। प्रदेश की सिविल पुलिस एवं अन्य पुलिस बल के लिए रूल रेगुलेशन सृजित कर माननीय आयोग के समक्ष एक सप्ताह में प्रस्तुत किए जाने की मांग की गई है। घटना में घायल प्रत्येक अधिवक्ता को राज्य सरकार द्वारा 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। घायल अधिवक्ताओं का सामाजिक न्याय के तहत प्रतिष्ठित अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाए।

बता दें कि 29 अक्तूबर को जिला जज की अदालत में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बवाल हुआ। मामला कविनगर थाने में दो अक्तूबर को अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया था। इसमें जितेंद्र सिंह का आरोप है कि उनकी और उनके साथी की 90 लाख की संपत्ति को फर्जी एग्रीमेंट बनाकर बेच दिया गया।

एफआईआर में नौ लोग नामजद किए गए थे। एफआईआर में डासना नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली, गुलरेज आलम, रिजवान अली, हसमुद्दीन, मोहम्मद फहीम, नसरुद्दीन, फातिमा परवीन, जफरुद्दीन और खुर्शीदन के नाम हैं। इस मामले में आरोपियों को 28 अक्तूबर तक अग्रिम जमानत मिल गई। 29 अक्तूबर को सुनवाई हो रही थी। सबकुछ आम दिनों की तरह सामान्य ही चल रहा था कि 11 बजे अचानक सबकुछ असामान्य हो गया। कुछ ही देर में जिला जज की कोर्ट में दो घंटे तक भारी बवाल चला।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 2.11.2024
Page No. 26, Size:(21.52)cms X (12.91)cms.

LETTERS TO THE EDITOR

Dear reader, We are eager to know your opinions, comments and suggestions. Write to letters@fpj.co.in with the title of the letter in the subject line. Using snail mail? Send your letters to The Free Press Journal, Free Press House, 215 Free Press Marg, Nariman Point, Mumbai 400021.

Jail or bastion of caste system?

Many states still operate on the basis of castes or according to rules. The country is celebrating the golden age of freedom, but even now seems to be lagging behind in terms of casteism. A criminal is a criminal; irrespective of his caste or religion, he is a criminal in the eyes of the law, when he goes to jail. It is based on caste that the prison administrations treat such criminals as per rules framed on the basis of caste. Is this not an open violation of Article 14 of the Constitution of India? Is it right to assign such prisoners to traditional cleaning or other work based on their caste just because they are born in a lower caste?

Dattaprasad Shirodkar, Mumbai

MIKA'S MATRIX

epaper.freepressjournal.in

II

The Supreme Court has done a great job by scrapping caste based discriminatory practices from 11 state prison manuals. What is sad is that this discrimination carried on since the British era and survived many other reform measures by the National Human Rights Commission and NALSA which took many good initiatives. Division of prisoners' labour by caste and segregation of quarters by caste remained unaddressed deliberately. OBCs rebuking lower OBCs and Dalits castigating Mahadalits in prisons is a sad commentary of caste hierarchy. Now the apex court of the country has done its bit, but what about strict implementation of this in the jails across the country? It will boil down to those state governments to do it in the true letter and spirit.

Bal Govind, Noida

III

The recent Supreme Court decision against prejudice based on caste in jails is a major step towards ensuring that everyone is treated with dignity and equality. But how can we make sure that every state implements these changes in an effective way? Concerns regarding the extent of social injustice are raised by the practices from the colonial past that remain present in jail manuals. What steps will be implemented to monitor compliance and permanently end this prejudiced conduct as we work towards a more equal system? The Court's order is an important first step, but more work needs to be done.

Anshu Bharti, Begusarai

IV

Giving culinary jobs to people from upper castes and cleaning jobs to lower caste convicts violates constitutional provisions. This promotes caste inequality in jails. The court ruled that dividing work based on caste is consistent with colonial ideology, which cannot be retained in an independent India. The court ruled that the jail manual is blatantly discriminatory. It further stated that including facts about caste in the manual is unconstitutional. Work is dispersed on a consistent basis. Furthermore, states and central governments were instructed to guarantee that jail rules in their respective states do not contain any discriminatory measures. On the other side, administrators were asked to treat the inmates with dignity.

Abhijit Roy, Jamshedpur

V

The apex court observed that "right to live with dignity extends even to the incarcerated" and further said that criminal laws of the colonial era continue to impact the postcolonial world which is totally against the democratic values of country who has the largest democracy in the world. The judgment extensively referred to the writings of Dr Ambedkar on the varna system. The authorities should follow the guidelines strictly.

Yash Pal Ralhan, Jalandhar

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PIONEER, Ranchi, 2.11.2024
Page No. 2, Size:(24.90)cms X (13.86)cms.

Another inmate of central jail dies, 5 deaths in 7 months

PNS : DALTONGANJ

Another death of an inmate of the central jail Daltonganj! And this inmate died in the central jail when early that day there was a massive search here in this jail by the DC Shashi Ranjan and SP Reeshma Ramesan and host of other civil and police officials.

With this death, the toll rose to five in 7 months. Four of the 5 deaths so occurred here in the central jail is of the UTs said jail sources. A lifer here had died in the third week of July only.

The latest death of the inmate of this central jail occurred on October 30.

The fourth death had occurred in the jail on September 11 only where a UT prisoner Kundan Kumar Pandey was declared brought dead in the MMCH Daltonganj.

Central jail superintendent Bhagirath Karjee said, "An UT (under trial) prisoner Sitaram Rajwar, 65, fell sick in the jail here on October 30."

Karjee said this inmate was fine in the morning of October 30 but later in the day he had a large vomiting for which he was given treatment too here in the central jail. "The jail inmate was given treatment in the central jail and he was rushed to the MMCH Daltonganj where he was declared brought dead by the doctor on duty there in the MMCH Daltonganj" added the medical superintendent.

This correspondent spoke to the medical superintendent of the MMCH Daltonganj Dr Dharmendra Kumar.

According to the medical superintendent Dr Dharmendra Kumar "The jail inmate identified as Sitaram Rajwar, 65, was brought dead to MMCH on October 30 at 7.07 pm."

Medical superintendent said post mortem was conducted in full adherence to the protocol as laid down by the NHRC.

The central jail has only one doctor and that too on deputation in Dr Rohit Pandey.

There is no regular / full time doctor in the central jail.

The central jail has invariably 1,000 inmates a day on an average.

"A doctor on deputation here is insufficient. Dr Rohit Pandey is quite a busy doctor who has multifarious duties in his parent hospital MMCH. We need a full time doctor for this jail." said the central jail superintendent Bhagirath Karjee.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, HAZARIBAG, 2.11.2024
Page No. 13, Size:(23.79)cms X (11.93)cms.

कार्रवाई • आदिम जनजाति बिरहोर की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त से मांगी रिपोर्ट

दो बिरहोर की मौत पर 6 सप्ताह में मांगी गई है रिपोर्ट

भास्कर न्यूज|हजारीबाग

केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरणी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग से चार बिंदुओं पर छह सप्ताह के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि बिरहोर टोला, पगार में एनटीपीसी का खनन कार्य कब से चल रहा है?, बिरहोर टोला, पगार के निवासियों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं? बिरहोर समुदाय किस कारण से एनटीपीसी द्वारा निर्मित घरों में स्थानांतरित होने का विकल्प नहीं चुन रहा है और क्या वह स्थान खनन के प्रदूषण से सुरक्षित है? एनटीपीसी द्वारा खनन शुरू होने के बाद से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या है? परियोजना अंतर्गत बिरहोर टोला के किरणी बिरहोर की मौत 28 फरवरी और बहादुर बिरहोर की मौत 10 अप्रैल को हुई थी। जिसके बाद आयोग से शिकायत की गई थी।

मालूम हो कि एनटीपीसी के चट्टी बरियातु कोल परियोजना के खनन स्थल के समीप आदिम जनजाति समुदाय के बिरहोर टोला निवासी

मानवाधिकार के पत्र की कॉपी।

नाबालिग किरणी बिरहोर और बहादुर उर्फ दुर्गा बिरहोर की मौत के मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय जांच दल का रिपोर्ट उपायुक्त हजारीबाग को भेजा गया था। रिपोर्ट में यह कहा है कि कंपनी द्वारा खनन कार्य बिरहोर टोला, पगार से सटा हुआ क्षेत्र में किया जा रहा है। इस क्षेत्र में खनन एवं परिवहन का कार्य होने के कारण बहुत अधिक धूलकण हवा में विद्यमान हैं जिससे प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है एवं पगार बिरहोर टोला के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदूषण के कारण स्वांस एवं अन्य बीमारियों की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ माइनिंग करने के लिए विस्फोट किया जाता है, जिसके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसके साथ जांच दल ने जांच रिपोर्ट के मंतव्य में यह लिखा था कि जब तक बिरहोर परिवारों का पगार बिरहोर टोला से अन्यत्र आवासित नही किया जाता है,तब तक बिरहोर टोला के आसपास माइनिंग का कार्य करना श्रेयस्कर नहीं है। जांच दल के उक्त मंतव्य के बाद भी खनन कार्य जारी रखा गया है।

शिकायत कर्ता ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि कोल परियोजना के लिए नियुक्त माइन डेवलपर और ऑपरेटर के माध्यम से किए जा रहे खनन प्रकरण में स्थानीय प्रशासन आदिम जनजाति समुदाय की दो लोगों की मौत के बाद मौत के कारणों को छुपाने और अपनी जिम्मेवारी और दोषियों को बचाने के लिए जिस प्रकार अप्राकृतिक, संदेहास्पद मौत की स्थिति में अनिवार्य पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। इसके अलावा पांच सदस्यीय टीम के मंतव्य पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

DAINIK BHASKAR, BOKARO, 2.11.2024
Page No. 7, Size:(21.35)cms X (11.32)cms.

कार्रवाई • आदिम जनजाति बिरहोर की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त से मांगी रिपोर्ट

दो बिरहोरों की मौत पर 6 सप्ताह में मांगी गई है रिपोर्ट

भास्कर न्यूज़|हजारीबाग

केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरणी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग से चार बिंदुओं पर छह सप्ताह के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि बिरहोर टोला, पगार में एनटीपीसी का खनन कार्य कब से चल रहा है?, बिरहोर टोला, पगार के निवासियों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं? बिरहोर समुदाय किस कारण से एनटीपीसी द्वारा निर्मित घरों में स्थानांतरित होने का विकल्प नहीं चुन रहा है और क्या वह स्थान खनन के प्रदूषण से सुरक्षित है? एनटीपीसी द्वारा खनन शुरू होने के बाद से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या है? परियोजना अंतर्गत बिरहोर टोला के किरणी बिरहोर की मौत 28 फरवरी और बहादुर बिरहोर की मौत 10 अप्रैल को हुई थी। जिसके बाद आयोग से शिकायत की गई थी।

मालूम हो कि एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना के खनन स्थल के समीप आदिम जनजाति समुदाय के बिरहोर टोला निवासी

मानवाधिकार के पत्र की कॉपी।

नाबालिग किरणी बिरहोर और बहादुर उर्फ दुर्गा बिरहोर की मौत के मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय जांच दल का रिपोर्ट उपायुक्त हजारीबाग को भेजा गया था। रिपोर्ट में यह कहा है कि कंपनी द्वारा खनन कार्य बिरहोर टोला, पगार से सटा हुआ क्षेत्र में किया जा रहा है। इस क्षेत्र में खनन एवं परिवहन का कार्य होने के कारण बहुत अधिक धूलकण हवा में विद्यमान हैं जिससे प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है एवं पगार बिरहोर टोला के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदूषण के कारण स्वांस एवं अन्य बीमारियों की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ माइनिंग करने के लिए विस्फोट किया जाता है, जिसके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसके साथ जांच दल ने जांच रिपोर्ट के मंतव्य में यह लिखा था कि जब तक बिरहोर परिवारों का पगार बिरहोर टोला से अन्यत्र आवासित नही किया जाता है,तब तक बिरहोर टोला के आसपास माइनिंग का कार्य करना श्रेयस्कर नहीं है। जांच दल के उक्त मंतव्य के बाद भी खनन कार्य जारी रखा गया है।

शिकायत कर्ता ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि कोल परियोजना के लिए नियुक्त माइन डेवलपर और ऑपरेटर के माध्यम से किए जा रहे खनन प्रकरण में स्थानीय प्रशासन आदिम जनजाति समुदाय की दो लोगों की मौत के बाद मौत के कारणों को छुपाने और अपनी जिम्मेवारी और दोषियों को बचाने के लिए जिस प्रकार अप्राकृतिक, संदिग्धास्पद मौत की स्थिति में अनिवार्य पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। इसके अलावा पांच सदस्यीय टीम के मंतव्य पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA, Muzaffarpur, 2.11.2024
Page No. 6, Size:(8.16)cms X (9.31)cms.

वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

अमर उजाला ब्यूरो

गाजियाबाद। कचहरी में बीते 29 अक्तूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ता की भी अपनी मान मर्यादा है। वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इस घटना से अधिवक्ताओं के अधिकारों, मान सम्मान, मर्यादा का हनन हुआ है।

भरी अदालत में पुलिस द्वारा अधिवक्तागणों पर लात, घूंसे चलना, लाठी बरसाना अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात है। इस प्रकार से अधिवक्तागण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करने की प्रार्थना की गई है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और अधिवक्तागण निर्बाध रूप से कोर्ट रूम में अपना न्यायिक कार्य कर सकें। प्रदेश की सिविल पुलिस एवं अन्य पुलिस बल के लिए रूल रेगुलेशन सृजित कर माननीय आयोग के समक्ष एक सप्ताह में प्रस्तुत किए जाने की मांग की गई है। घटना में घायल प्रत्येक अधिवक्ता को राज्य सरकार द्वारा 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। घायल अधिवक्ताओं का सामाजिक न्याय के तहत प्रतिष्ठित अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाए।

जिला जज के तबादले की मांग पर अड़े हैं अधिवक्ता, चार नवंबर से रहेंगे हड़ताल पर

29 अक्तूबर को जिला जज की अदालत में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बवाल हुआ। मामला कविनगर थाने में दो अक्तूबर को अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया था। इसमें जितेंद्र सिंह का आरोप है कि उनकी और उनके साथी की 90 लाख की संपत्ति को फर्जी एग्रीमेंट बनाकर बेच दिया गया। एफआईआर में नौ लोग नामजद किए गए थे। एफआईआर में डासना नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली, गुलरेज आलम, रिजवान अली, हसमुद्दीन, मोहम्मद फहीम, नसरुद्दीन, फातिमा परवीन, जफरुद्दीन और खुर्शीदन के नाम हैं। इस मामले में आरोपियों को 28 अक्तूबर तक अग्रिम जमानत मिल गई। 29 अक्तूबर को सुनवाई हो रही थी। सबकुछ आम दिनों की तरह सामान्य ही चल रहा था कि 11 बजे अचानक सबकुछ असामान्य हो गया। कुछ ही देर में जिला जज की कोर्ट में दो घंटे तक भारी बवाल चला।

बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के साथ कई वकील आए थे। ये लोग पहले जिला जज अनिल कुमार से एक अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील कर रहे थे लेकिन, जब बात नहीं बनी तो हंगामा करने लगे। वकीलों ने आरोप लगाया कि जिला जज ने पुलिस बुलाकर उन्हें पिटवाया। इस घटना में पूर्व बार अध्यक्ष और उनके बेटे समेत 60-70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता का कहना है कि मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। चार नवंबर से वकील हड़ताल पर रहेंगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA, Saharanpur, 2.11.2024
Page No. 6, Size:(8.19)cms X (9.31)cms.

वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

अमर उजाला ब्यूरो

गाजियाबाद। कचहरी में बीते 29 अक्तूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ता की भी अपनी मान मर्यादा है। वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इस घटना से अधिवक्ताओं के अधिकारों, मान सम्मान, मर्यादा का हनन हुआ है।

भरी अदालत में पुलिस द्वारा अधिवक्तागणों पर लात, घूंसे चलना, लाठी बरसाना अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात है। इस प्रकार से अधिवक्तागण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करने की प्रार्थना की गई है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और अधिवक्तागण निर्बाध रूप से कोर्ट रूम में अपना न्यायिक कार्य कर सकें। प्रदेश की सिविल पुलिस एवं अन्य पुलिस बल के लिए रूल रेगुलेशन सृजित कर माननीय आयोग के समक्ष एक सप्ताह में प्रस्तुत किए जाने की मांग की गई है। घटना में घायल प्रत्येक अधिवक्ता को राज्य सरकार द्वारा 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। घायल अधिवक्ताओं का सामाजिक न्याय के तहत प्रतिष्ठित अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाए।

जिला जज के तबादले की मांग पर अड़े हैं अधिवक्ता, चार नवंबर से रहेंगे हड़ताल पर

29 अक्तूबर को जिला जज की अदालत में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बवाल हुआ। मामला कविनगर थाने में दो अक्तूबर को अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया था। इसमें जितेंद्र सिंह का आरोप है कि उनकी और उनके साथी की 90 लाख की संपत्ति को फर्जी एग्रीमेंट बनाकर बेच दिया गया। एफआईआर में नौ लोग नामजद किए गए थे। एफआईआर में डासना नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली, गुलरेज आलम, रिजवान अली, हसमुद्दीन, मोहम्मद फहीम, नसरुद्दीन, फातिमा परवीन, जफरुद्दीन और खुर्शीदन के नाम हैं। इस मामले में आरोपियों को 28 अक्तूबर तक अग्रिम जमानत मिल गई। 29 अक्तूबर को सुनवाई हो रही थी। सबकुछ आम दिनों की तरह सामान्य ही चल रहा था कि 11 बजे अचानक सबकुछ असामान्य हो गया। कुछ ही देर में जिला जज की कोर्ट में दो घंटे तक भारी बवाल चला।

बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के साथ कई वकील आए थे। ये लोग पहले जिला जज अनिल कुमार से एक अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील कर रहे थे लेकिन, जब बात नहीं बनी तो हंगामा करने लगे। वकीलों ने आरोप लगाया कि जिला जज ने पुलिस बुलाकर उन्हें पिटवाया। इस घटना में पूर्व बार अध्यक्ष और उनके बेटे समेत 60-70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता का कहना है कि मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। चार नवंबर से वकील हड़ताल पर रहेंगे।

Ghaziabad: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचे पीड़ित वकील, की ये मांगें; कोर्ट में पुलिस ने किया था लाठीचार्ज

https://www.amarujala.com/delhi-ncr/ghaziabad/ghaziabad-district-court-lathicharge-case-reached-national-human-rights-commission-2024-11-01

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 01 Nov 2024 12:18 PM IST

गाजियाबाद जिला कोर्ट में पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है और अपने अधिकारों को लेकर अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार से कुछ मांग की है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला कोर्ट में बीते दिनों हुए बवाल का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान जिला जज ने पुलिस बुलाए जाने और बेकसूर अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी बरसाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत की है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ता की भी अपनी मान मर्यादा है। वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इस घटना से अधिवक्ताओं के अधिकारों, मान सम्मान, मर्यादा का हनन हुआ है।

भरी अदालत में पुलिस द्वारा अधिवक्तागणों पर लात, घूंसे चलना, लाठी बरसाना अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात है और इस प्रकार से अधिवक्तागण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका लगाई गई है।

जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करने की प्रार्थना की गई है कि भविष्य में उक्त प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और अधिवक्तागण निर्बाध रूप से कोर्ट रूम में अपना न्यायिक कार्य कर सकें।

प्रदेश की सिविल पुलिस एवं अन्य पुलिस बल के लिए रूल्स रेगुलेशन सृजित कर माननीय आयोग के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किया जाए। घटना में घायल प्रत्येक अधिवक्ता को 10-10 लाख का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाए। घायल अधिवक्ताओं का सामाजिक न्याय के तहत प्रतिष्ठित अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाए।

Mango Kernel Gruel Again Claims 2 Lives In Odisha, 6 Under Treatment At MKCG MCH

https://odishabytes.com/mango-kernel-gruel-again-claims-2-lives-in-odisha-6-under-treatment-at-mkcg-mch/

By OB Bureau On Nov 1, 2024

Condition of six others, undergoing treatment at MKCG Medical College and Hospital (MCH) here, is stated to be critical.

According to sources, the women fell ill on Tuesday, a day after having the gruel. They were first admitted to the Community Health Centre (CHC) at Godapur, where one of them died, while a young girl succumbed while being shifted to Berhampur.

“The six were admitted to the hospital in a critical condition. People often store mango kernel and eat it with Mandia. We suspect it to be a case of food poisoning,” MKGC senior resident Subrat Das told the media.

In 2018, three tribals in Odisha’s Nabrangpur district died in a span of 18 hours after consuming a cake made out of mango kernel. At least 24 tribals of Kashupur block in Rayagada district had also died in 2001, after eating a gruel of mango kernel and a curry of wild mushroom. The NHRC confirmed the incident to be a case of food poisoning following a probe.

: Two women died after allegedly consuming gruel made of mango kernel at Mandipanka village under Daringbadi block of Odisha’s Kandhamal district.

NHRC orders ₹5L aid for ‘custodial’ death in Ganjam

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-directs-5-lakhs-compensation-for-alleged-custodial-death-in-ganjam/articleshow/114864439.cms

Nov 2, 2024, 04.23 AM IST

Berhampur: National Human Rights Commission (NHRC) has ordered the state govt to pay a compensation of Rs 5 lakh to the family members of a man who allegedly died in police custody two years ago.

The commission, in its order passed on Wednesday, also set an eight-week deadline for the state govt to disburse the compensation and submit a compliance report along with proof of payment. NHRC passed the order after considering a petition filed by human rights activist Rabindra Kumar Mishra on Oct 2, 2022.

In his petition, he alleged that Ch Trilochan Reddy (35) of Chamakhandi was detained in Chamakhandi police station for four to five days in connection with a family dispute. He tried to hang himself in the toilet in the police station and later died at MKCG Medical College and Hospital here during treatment on Oct 1, 2022.

The commission, on April 8, issued a showcause notice to the chief secretary questioning why Rs 5 lakh compensation should not be recommended to be paid to the next of kin of the deceased. NHRC sought a reply to the showcause notice within eight weeks.

Cuttack superintendent of police (Human Rights Protection Cell), on July 11, forwarded the report of SP (Ganjam) as a reply to the showcause notice.

Ganjam SP in his report said the judicial inquiry revealed that “there seems no negligence on the part of police staff of Chamakhandi for the death of the deceased. However, on a humanitarian point of view, there is no objection to granting monetary compensation to the next of kin of the deceased”.

Since the authority concerned conveyed their no-objection to granting monetary compensation to the next of kin of the deceased, the showcause notice is hereby confirmed, and NHRC recommends to the chief secretary to disburse Rs 5 lakh to the next of kin of the deceased within eight weeks, the order said.

We also published the following articles recently

CM Yogi Adityanath meets kin of custodial death victim in Lucknow, announces Rs 10 lakh compensationUttar Pradesh CM Yogi Adityanath met the family of Mohit Pandey, who died in police custody, and announced Rs 10 lakh compensation. Police allege

health issues, but the family claims brutality. An FIR has been filed against police personnel. Opposition parties criticized the government, calling for justice and condemning police actions.114681521

HC enhances compensation awarded to kin of accident victimMadras High Court has increased the compensation awarded to the family of a man who died while trying to board a government bus in Virudhunagar from 14.34 lakh to 17.82 lakh. The court found the bus driver responsible for the accident, dismissing the transport corporation's appeal and ordering the corporation to deposit the enhanced amount.114658416

In a first, family of deceased Gulf worker gets Rs 5L ex-gratiaThe Telangana government has disbursed a Rs 5 lakh ex-gratia to the family of a deceased Gulf worker from Karimnagar district. This policy aims to support families of workers who die in Gulf countries. Minister Ponnam Prabhakar and district collector Pamela Satpathy handed over the money to Puli Anjaiahs wife, marking the first instance under this initiative.114860231

एनएचआरसी के समन पर भ्रूण मामले की जांच करने पहुंचे अधिकारी

https://www.msn.com/hi-in/news/bihar/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%A3-%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%A7-%E0%A4%95-%E0%A4%B0/ar-AA1tlmps

• 7घंटे • 2 मिनट पढ़ा गया

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** के समन पर एसकेएमसीएच के मुख्य द्वार के पास बीते 15 मई को मिले भ्रूण मामले की जांच शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम ने की। दो सदस्यीय टीम ने अस्पताल प्रबंधन के अलावा आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली। इसमें घटना की वास्तविक स्थिति और इसके लिए दोषी व्यक्ति पर की गई कार्रवाई का ब्योरा शामिल है। टीम में शामिल एडीएम (आपदा) मनोज कुमार और एसडीएम पूर्वी अमित कुमार जांच के दौरान दो घंटे से अधिक अस्पताल परिसर में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने भ्रूण मिलने और कुत्तों द्वारा नोचे जाने की पुष्टि की। इसके बाद जांच अधिकारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. कुमारी विभा और अस्पताल प्रबंधक संजय साह से भी इस बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रबंधन से ऐसे मामलों में लिए जानेवाले एक्शन की भी जानकारी मांगी। साथ ही इस साल 15 मई को हुई घटना के बाद जिम्मेवार लोगों की पहचान और की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। ओपी प्रभारी अमित कुमार से एक घंटे तक मामले को लेकर पूछताछ की गई।

गौरतलब है कि इसके पहले अस्पताल परिसर में कुत्तों द्वारा लावारिश भ्रूण को नोचे जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए 29 मई को आयोग ने जिला प्रशासन से एटीआर मांगी थी। दो बार स्मार पत्र भी भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से डीएम को समन जारी किया। आयोग ने डीएम को आगामी 25 नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर कार्यालय में हाजिर होने को कहा। हालांकि 18 नवंबर तक एटीआर जमा करने पर व्यक्तिगत हाजिर होने से छूट दी है।

HINDUSTAN, Online, 2.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

एनएचआरसी के समन पर भ्रूण मामले की जांच करने पहुंचे अधिकारी

https://www.livehindustan.com/bihar/muzaffarpur/story-nhrc-investigation-on-foetus-found-in-muzaffarpur-hospital-201730480914876.amp.html

एसकेएमसीएच : -जिला प्रशासन के दो अधिकारियों ने मेडिकल प्रशासन से लिया ब्योरा -एचएचआरसी ने

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर Fri, 1 Nov 2024, 10:38:PM

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समन पर एसकेएमसीएच के मुख्य द्वार के पास बीते 15 मई को मिले भ्रूण मामले की जांच शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम ने की। दो सदस्यीय टीम ने अस्पताल प्रबंधन के अलावा आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली। इसमें घटना की वास्तविक स्थिति और इसके लिए दोषी व्यक्ति पर की गई कार्रवाई का ब्योरा शामिल है।

टीम में शामिल एडीएम (आपदा) मनोज कुमार और एसडीएम पूर्वी अमित कुमार जांच के दौरान दो घंटे से अधिक अस्पताल परिसर में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने भ्रूण मिलने और कुत्तों द्वारा नोचे जाने की पुष्टि की। इसके बाद जांच अधिकारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. कुमारी विभा और अस्पताल प्रबंधक संजय साह से भी इस बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रबंधन से ऐसे मामलों में लिए जानेवाले एक्शन की भी जानकारी मांगी। साथ ही इस साल 15 मई को हुई घटना के बाद जिम्मेवार लोगों की पहचान और की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। ओपी प्रभारी अमित कुमार से एक घंटे तक मामले को लेकर पूछताछ की गई।

गौरतलब है कि इसके पहले अस्पताल परिसर में कुत्तों द्वारा लावारिश भ्रूण को नोचे जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए 29 मई को आयोग ने जिला प्रशासन से एटीआर मांगी थी। दो बार स्मार पत्र भी भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से डीएम को समन जारी किया। आयोग ने डीएम को आगामी 25 नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर कार्यालय में हाजिर होने को कहा। हालांकि 18 नवंबर तक एटीआर जमा करने पर व्यक्तिगत हाजिर होने से छूट दी है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TRICITY TODAY, Online, 2.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

गाजियाबाद कोर्ट परिसर केस : वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा, 29 अक्टूबर को हुई थी घटना

https://tricitytoday.com/ghaziabad/ghaziabad-court-premises-case-the-matter-of-the-lathicharge-on-lawyersreached-the-human-rights-commission-the-incident-happened-on-29-october-63397.html

गाजियाबाद Nov 01, 2024 13:21

Ghaziabad News : गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में 29 अक्टूबर को वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का मामला **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** पहुंच गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने मामले में आयोग को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मां गई है। उन्होंने आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान जिला जज द्वारा पुलिस बुलाए जाने और बेकसूर अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का मामला बेहद गंभीर है।

अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात

मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने कहा है कि अधिवक्ता की भी अपनी मान मर्यादा है, वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इस घटना से अधिवक्ताओं के अधिकारों, मान सम्मान, मर्यादा का हनन हुआ है। भरी अदालत में पुलिस द्वारा अधिवक्तागणों पर लात, घूंसे चलाना, लाठी बरसाना अधिवक्ताओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात है, और इस प्रकार से अधिवक्तागण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे।

पुलिस के लिए रेगुलेशन हेतु आदेश दे आयोग

एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता की ओर से मानवाधिकार आयोग को भेजी गई याचिका में इस संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना में कहा गया है कि भविष्य में उक्त प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और अधिवक्तागण निर्बाध रूप से कोर्ट रूम में अपना न्यायिक कार्य कर सकें, इस संबंध में पुलिस के लिए रूल्स- रेगुलेशन बनाए जाएं।

घायल अधिवक्ताओं को 10-10 लाख

एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता की ओर से मानवाधिकार आयोग को भेजी गई याचिका में घटना में घायल प्रत्येक अधिवक्ता को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की मांग की है। घायल अधिवक्ताओं का सामाजिक न्याय के तहत प्रतिष्ठित अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाए।